

निर्णय

मिसल नम्बर - 21 / 2019

दिनांक=07/06/2019

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~...~~ में रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सामत ~~...~~ में गैर सायल ~~...~~ पुत्र श्री ~~...~~ जाति ~~...~~ साकिम ~~...~~ ने ग्राम ~~...~~ के ख0नं0 ~~...~~ रकबा ~~...~~ में नाजायज बाड़ा/मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अप्राप्ती ~~...~~ को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण चर्चा कर जारी किया गया जो कि बाद तागिल शागिल गिराल किया गया। संबंधित गैर सायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में ईकतरफा कार्यवाही करते हुये संबंधित गैर सायल ~~...~~ पुत्र श्री ~~...~~ जाति ~~...~~ साकिम ~~...~~ को ग्राम ~~...~~ के ख0नं0 ~~...~~ रकबा ~~...~~ में अतिचार करने पर राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर ~~...~~ का 50 गुणा ~~...~~ 02/- रुपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरणसर